न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा

प्रकरण संख्या – 5/18(आरटीए 212)

दायर दिनांक – 11.6.2018

फैसल दिनांक – 12.6.2018

अनवान

1–श्री रमेश पिता हीरा पारगी निवासी जूई तलाई तहसील गलियाकोट
2– श्री हरिश पिता हीरा पारगी निवासी जूई तलाई तहसील गलियाकोट
3– श्री प्रकाश पिता हीरा पारगी निवासी जूई तलाई तहसील गलियाकोट
4–श्रीमती तुलसी पिता हिरा पारगी निवासी जूई तलाई हाल अपने पति ईश्वर नि.सागवाडा
5– श्रीमती संगीता पिता हिरा पारगी निवासी जूई तलाई हाल अपने पति गलाबजी सागवाडा
6– श्रीमती लाडकी बेवा हिरा पारगी निवासी जूई तलाई तहसील गलियाकोट

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– श्रीमती काली पिता सोमा पारगी मीणा निवासी जूई तलाई हालअपने पति पना घोटाद
2– श्रीमणीया पिता शंकर पारगी निवासी जूई तलाई
3– श्री मती मोगी पिता कचरू पारगी निरवासी जूई तलाई हालअपने पति रमण कटारा निवासी उदईया
4– श्री मती हुकी पिता कचरू पारगी मीणा निवासी जूई तलाई हाल अपने पति कलजी निवासी बडगी
5– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट

(अप्रार्थीगण)

वकील प्राथीगण– श्री निखिल सोमपुरा

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत आरटीए 212

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रथक से एक वाद प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण एक हीपरिवार के सदस्य है उनके संयुक्तखातेदारी की राजस्व भूमि गांव जूई तलाई में स्थित है । यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त शामलाती खाता मोजा जूई तलाई पटवार हल्का गलियाकोट में खाता सख्या 54/734 कुलखसरा 14 कुल रकबा 10बीघा 08 बिस्वा स्थित है जिस पर वादीगण काबिज हो उसका उपयोग उपभोग व काश्त पीढी दर पीढी करते आ रहे हैं जिसका बंटवारा नही किया गया है । यह कि प्रार्थीगण के पिता व दादा सोमा पिता लेम्बा पारगी के दो पूत्रियां विपक्षी संख्या 1 कालीएवं नानी थी एवं तीन पूत्र शंकर ,कचरू व हुका थे जिसमें नानी की मृत्यु वर्ष 2013 में हुई एवं

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

हुका केलाऔलाद फौतहोने से उसके हिस्से की भूमि सभी वारिसदारों ने समान रूप से विभक्त कर दी गई थी । शंकर व कचरू की मृत्यु वर्ष 2013 के पूर्व होने से प्रार्थीगण संख्या 1 से 6केनाम पर नामान्तरकरण खोला गया है । विपक्षी संख्या 1 से 4मिलकर उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमिमें से प्रार्थीगण कीसहमती केबिना भूमि विक्रय करने आमादा हो रहे हैं एवं काश्त करने से रोका जा रहा है ।

यह कि विपक्षीगण जबरन प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन को खोस लेना चाहते हैं जिसके लिए वह आये दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते है। जिस कारण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के अन्त में मोजा जूई तलाई में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 54/734 कुल खसरा 14 कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा में से विपक्षीगण किसी को भी रहन बक्षीस व विक्रय नहीं करें और न ही अपने ऐजेण्ट रिश्तेदार व अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करें ,किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नही करें एवं नामान्तरकरण नही खोलाने अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र में जमाबन्दी , नक्षा ट्रैस प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया जाकर बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी खाता संख्या 54 मौजा जूई तलाई जमाबन्दी संवत 2071–74 में प्रार्थीगण सह खातेदार दर्ज रेकार्ड है । प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मोजा जूई तलाई में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 54/734 कुल खसरा 14 कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा में से विपक्षीगण किसी को भी रहन बक्षीस व विक्रय नहीं करें और न ही अपने ऐजेण्ट रिश्तेदार व अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करें ,किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नही करें।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2018 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार हो , नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा